राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :- 202/2023 निर्णय दिनांक : 30.1.25

भोपाल आदि बनाम गिरधारी वगै0

1. भोपाल
2. बनवारी
3. जयपाल
4. रोहिताश
5. कमलेश

पुत्रगण रूप रामकरण जाति जाट निवासी ढाणी पंछीरी तन गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. गिरधारी
2. किशोर

पुत्रगण श्योनारायण जाति जाट निवासी गुढागौड़जी

3. नेतराम पुत्र स्व. लक्ष्मण जाति जाट निवासी गुढागौड़जी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0 धा0 251 ए रा0 का0 अ0 1955

प्रार्थना पत्र निम्न आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पेमाराम पुत्र मंगलाराम के वारिसान है। पेमाराम की खातेदारी काश्त व कब्जा की भूमि गत खसरा नं. 1071, 1072, 1072, 1052, 1054, 1061, 2072 रही है जिसमें से खसरा नं. 1052 रकबा 11 बिघा 10 बिश्वा व खसरा नं. 2072 रकबा 63 बिघा ही इस प्रार्थना पत्र के लिऐ विचारणीय है। गत खसरा नं. 2072 के नये खसरा नं. 2464, 2496 बने, खसरा नं. 2464 से खसरा नं. 1878 व 2496 बने, खसरा नं. 1915 रकबा 9.34 है0 व उसके आगे ख. नं. 1915/1 रकबा 4.67 है0, खसरा नं. 1915/2 रकबा 4.67 है0 बने। खसरा नं. 1878 के वर्तमान खसरा नं. 3291/1878, 3292/1878, 3293/1878, 3295/1878, 3296/1878, 3294/1878 बने। पेमाराम के खेतों के पूर्व में बुरली से गुढा का रास्ता लगता है जो नजरी नक्शे में दिखाये गये बनुसार जोहड़ी तक चालू रहा है। पेमा के वारिसान ने आपसी सहूलियत से अपनी अपनी भूमियों का आपसी विभाजन कर रखा है जिसमें वर्तमान रिकॉर्ड में लाल स्याही से रास्ते के रूप में दिखाया गया है यही रास्ता आगे आवेदकगण के खेत खसरा नं. 1915 में होता हुआ जोहड़ी तक चालू रहा है। अनावेदक नेतराम के खेत खसरा नं. 3294/1878 मे रास्ता 20 फुट चौड़ा खसरा नं. 1915 से होता हुआ जोहड़ी में जाता है लेकिन नक्शा में दर्ज होने से रह गया इसलिय नेतराम की नियत में फर्क आने से व रास्ते से आवेदकगण को आने जाने से मना करने पर प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

...खण्ड अधिकारी
(राज.)

इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जरिये नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। अनावेदक संख्या 1 व 3 की ओर से एडवोकेट जितेन्द्र सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। समुचित अवसर दिये जाने पर भी जबाब पेश नहीं करने पर इनकी जबाबदेही बंद की गई। अनावेदक संख्या 2, 4 की ओर से बावजूद तामील असालतन/वकालतन कोई भी उपस्थित नहीं आया, जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रास्ते की मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार गुढागौड़जी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/3468 दिनांक 22.09.2023 द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट भिजवाई गई। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न समस्त दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काश्तकार को अपनी जोत तक पंहुचने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा काश्तकारों/आवेदकगणों को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र आवेदक अंतर्गत धारा 251 ए डी. एल. सी. दर का दो गुना भुगतान की शर्त पर स्वीकार किया जाना उंचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

–: आदेश :–

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/3468 दिनांक 22.09.2023 के मुताबिक राजस्व ग्राम गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 1915 में आवागमन हेतु 6 मीटर (20 फिट) चौड़ा रास्ता कायम करने का आदेश दिया जाता है। आवेदकगण को रास्ता भूमि बाबत निर्धारित डी. एल. सी. दर से दोगुनी राशि प्रस्तावित खसरा नम्बरान के खातेदारों को भुगतान करने पर या भुगतान लेने से मना करने पर राशि राजकोष में जमा करवाने पर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/1/25 को टंकण करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

30/1/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं

Scanned with OKEN Scanner